

अधिकारी

यालय उपखण्ड


कठूमर जिला अलवर


तारीख रजू.....

यादराम

बनाम

अमरसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.2020	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख० नं० 762, 740, 725, 724, 735, 743, 745, 732, 760, 761, 741 742 वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके यथास्थिति वनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बावत् कोई उज्र हो तो दिनांक 08.12.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 08.12.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	<p>361 7.5.11.20</p> <p> उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p>

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30/5/22</p>	<p>पञ्जाब ली कानून वकील जमी के धर्मना-पञ्जाब हलक के पेश हुके वकील जमी ने धर्मना-पञ्जाब पेश कर किये उर पञ्जाब सभ के सब एडित पर स्वार्थित जगने को निवेदन किया अतः उर पञ्जाब अर सभ वकील जमी के उर पञ्जाब के मायाद पर इसी सेन पर स्वार्थित किया जता है 11/5/22 में पुनः दोहरा हुके के मायाद एडित देह सुनु=11/5/22</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p>	<p>उके डाफना दावा जही चलमा-पञ्जाब</p> <p>यादुराम</p> <p>विसराम</p> <p>UP. पञ्जाब ली 13</p>